

प्रकरण सं० .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

16-10-19

वकील उभयपक्षा उप०। मूल वाद  
अदम तकमीलन खारिज किया जा चुका  
है। इस प्रकार का मूल वाद के खारिज  
होने से कोई औचित्य शेष नहीं रहा। अतः  
पगावली दायरा नम्बर से कम की जाकर  
वाद तकमील जावला कारिवाल अभिलेखागार  
हो।

40  
(मुकेश कोसे)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

19.

